


पुस्तिक कुञ्ज, हरिद्वार
बाल-विवाह एक
अतिघातक कुप्रथा



www.awgp.org
www.vicharkrantibooks.org

युग निर्माण योजना, मथुरा

श्रीधर शर्मा अचार्य



: BOOK MADE AVAILABLE FOR DIGITIZATION BY :

BRAHMVARCHAS SHODH SANSTHAN
SHANTIKUNJ, HARIDWAR, INDIA

: OUR MAIN CENTERS :

Shantikunj, Haridwar,
Uttaranchal, India – 249411
Phone no : 91-1334- 260602,
Website : www.awgp.org
E-mail : shantikunj@awgp.org

Gayatri Tapobhumi,
Mathura, U.P., India – 281003
Phone no : 91-0565-2530128,
Website : www.awgp.org
E-mail : yugnirman@awgp.org



: BOOK DIGITIZED BY :

Vicharkranti Pustakalaya, Thana-Faliya, Dindoligam, Surat-394210, Gujarat, India
E-mail: vicharkranti.awgp@gmail.com | Website : www.vicharkrantibooks.org



बाल-विवाह एक अति घातक कुप्रथा



अपने देश में बाल-विवाहों का प्रचलन बहुत है। पिछड़े वर्गों में—छोटे देहातों में तो इतना बड़ा शौक चाव रहता है कि छोटे बच्चों का विवाह करते हुए इस हर्षोत्सव को देखने का अवसर जितनी जल्दी मिल जाय उतना ही अच्छा है। कुछ दिन पहले तक तो गर्भस्थ बच्चों को अगाऊ शादियाँ हो जाती थीं और दूध पीते बच्चों को गोदी में लेकर उनके अभिभावक विवाह कर लेते थे। जब थोड़ा सुधार हुआ तो १० और १५ वर्ष के बीच देहाती क्षेत्र में इतने अधिक विवाह होते हैं जिन्हें देखकर घबेरा लगता है कि हमारा पिछड़ापन अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है। शारदा एक्ट और दूसरे बाल-विवाह विरोधी कानून यों तो बने पड़े हैं पर वे राजकीय आधार पर मुकदमे चलाकर दण्डनीय न होने के कारण प्रभावहीन बने हुए हैं। लाखों बाल-विवाह हर साल अपने देश में होते हैं और उनसे इन बालकों को शारीरिक, मानसिक क्षति तो होती ही है, उसका दुष्परिणाम समस्त समाज को भोगना पड़ता है।

विवाह का अर्थ ही इन दिनों कामुकता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना बन गया है। विवाह होते ही बालकों के मस्तिष्क में वही चिन्तन घूमता है। फलतः कच्ची आयु में ही यह विचारणा एवं प्रक्रिया चल पड़ती है जो उन दिनों सर्वथा अवांछनीय है। २५ वर्ष की आयु तक शरीर के अन्तरङ्ग तत्व विकास और पुष्टि को दिशा में गतिशील

रहते हैं। यदि काम-क्रीड़ा द्वारा उन तत्वों को निचोड़ा जाने लगे तो स्वभावतः शारीरिक विकास की प्रक्रिया रुकेगी। छोटे-पेड़ के तने खोदकर यदि उसमें से गोंद निकालना आरम्भ कर दिया जाय तो पेड़ जहाँ का तहाँ रह जायगा, उसका बढ़ना और पुष्ट होना रुक जायगा। यही बात बच्चों पर लागू होती है, उन्हें, संयम, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, खेलकूद और दूसरे आधारों के सहारे अभिवृद्धि की आयु २५ वर्ष तक विकसित होने का अवसर न मिले तो स्वभावतः वे दुर्बल एवं अविकसित रह जायेंगे। इसका फल सारे जीवन उन्हें शरीर को समस्त दुर्बलता एवं रुग्णता के रूप में भोगना पड़ेगा।

समस्त शरीर के साथ ही जननेन्द्रियों के कामल कल-पुर्जों की परिपक्वता पुष्ट होती है। असमय ही उन्हें छेड़ना और सताना शुरू कर दिया जाय तो उसका परिणाम यौन रोगों के रूप में सामने आता है। बाल-विवाह जननेन्द्रियों सम्बन्धी अनेक रोगों को आमन्त्रण देना है। अपने देश में यौन रोगों को चर्चा एक लज्जा का विषय माना जाता है। इसलिये अधिकांश व्यक्ति उन कष्टों से ग्रसित होने पर भी िपाये रहते हैं। कहते तब हैं जब पीड़ा असह्य हो जाती है। तलाश किया जाय तो बाल-विवाह के फलस्वरूप प्रमेह, स्वप्न दोष, बहुमूत्र, पेशाब की जलन, नपुंसकता, शीघ्र पतन, बांझपन, प्रदर, मासिक धम की गड़बड़ी एवं पीड़ा जैसे असंख्य यौन रोगों से ग्रसित लाखों नर-नारियाँ मिल सकते हैं।

ऐसे दम्पति जिन्होंने छोटी आयु से ही अपने शरीरों को निचोड़ना शुरू कर दिया कभी परिपुष्ट, सुन्दर और निरोग सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकते। कच्चे बीज यदि बोये जायें तो अच्छी फसल उगने को आशा कौन करेगा ? बाल-विवाह के कुचक्र ने जिन्हें चूसे हुए आम की तरह



निचोड़ डाला है उनकी सन्तान कमजोर, बीमार, अल्प आयु मन्द-वृद्धि तथा कठपुतली जैसी ही होगी। वे बच्चे किसी तरह जी मी लिये तो उनसे किसी महत्वपूर्ण प्रयोजन या पुरुषार्थ की आशा नहीं की जा सकती। ऐसे दुर्बल-काय और मानसिक दृष्टि से पिछड़ी हुई सन्तानें धरती माता के ऊपर भार बढ़ाना ही है। पोढ़ियां एक के बाद एक क्रमशः दुर्बल होती चली जायेंगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं बौद्धिकता का स्तर दिन पर दिन गिरता चला जायगा। बाल-विवाह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये एक खतरा है। राष्ट्रीय समर्थता के लिये यह एक सघन सङ्कट है। हमें अपनी नस्ल खराब करने का जोखिम नहीं उठाना है तो प्रचलित बाल-विवाह प्रथा की उपेक्षा करना चाहिए। अपरिपक्व शरीर से अल्प आयु की लड़कियाँ यदि प्रजनन करती हैं तो उनका अपना जीवन भी सङ्कट में रहता है। अस्पतालों की रियपोर्ट बताती है कि बीस वर्ष से कम उम्र की जितनी लड़कियाँ प्रसव पीड़ा में मरती हैं उससे चौथाई भी बड़ी आयु की स्त्रियाँ उस सङ्कट में प्राण नहीं गँवाती। लड़कियों की जान को जोखिम में डालकर विवाह का हर्षोत्सव मनाने वाले अभिभावक किस प्रकार समझदार कहे जायें? और कैसे माना जाय कि वे अपने बच्चों को सच्चा प्यार करते हैं? बाल-विवाह के शिकार लड़के प्रसव पीड़ा में तो नहीं मरते पर उनकी भी कम दुःशा नहीं होती। रुग्ण शरीर, रुग्ण पत्नी, रुग्ण सन्तान को लेकर वे जिस तरह रोते कलपते हैं उसे देखते हुए बाल-विवाह का खेल एक कौतुक मात्र नहीं रह जाता वरन् एक भयावह अभिशाप के रूप में उन्हें आजीवन उस दुर्भाग्य के लिये रोना पड़ता है।

बाल-विवाह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव विशेषतः लड़कियों पर बहुत ही बुरा पड़ता है। सुसराल में बहू को कुछ

दूसरे किस्म से रहना पड़ता है। उठती उमर की आका-
क्षाओं को कुछ अधिक हँसी-खुशी और स्वच्छन्दता की
जरूरत पड़ती है। माँ-बाप के घर ही यह सहज सुलभ
स्थिति सम्भव है। इसी वातावरण में मनोविज्ञान के लिये
खुली हुई और उपयुक्त परिस्थितियाँ मिलती हैं। यदि
उठती उमर की मनोवाँछायें वन्दोगृह जैसी सुसराल में
दबीभिची बना दी जायें तो उसमें भीतर ही भीतर एक
घुटन जैसी पैदा होती है। छोटी आयु की लड़कियाँ इस
विवशता में भीतर ही भीतर बुरी तरह फड़फड़ाती हैं, पर
कुछ कर नहीं सकती। उनकी यह विवशता मानसिक
रोगों के रूप में फूट पड़ती है। नई उम्र की लड़कियों को
मूर्च्छा, दौरा, मृगी, भूतप्रेत, भयङ्कर स्वप्न, दिल को धड़-
कन, डर आदि कितनी ही ऐसी व्यथायें फूट पड़ती हैं
जिनका एक मात्र कारण मनोवैज्ञानिक अवरोध एवं
शारीरिक घुटन ही होता है। बड़ी आयु में लड़कियाँ
दाम्पत्य जीवन में रस लेने लगती हैं और वे सुसराल के
दवे-भिचे वातावरण को भी सन्तुलित कर लेती हैं। भार-
तीय नारी की मानसिक दुर्दशा का एक बड़ा कारण अस-
मय ही एक भार पड़ जाना है। बड़ी उम्र में विवाह होने
पर मानसिक दृष्टि से समर्थ लड़कियाँ ही इस भार से बच
सकती हैं और मानसिक स्थिरता बनाये रह सकती हैं।

यह सोचना उचित नहीं कि जल्दी विवाह कर देने
पर लड़कियाँ शीलवान बनी रहती हैं और बड़ी आयु पर
विवाह होने से उनमें चारित्रिक दोष आने का खतरा
रहता है। खतरा आयु से नहीं वातावरण से सम्बन्धित
है। छोटे बच्चे भी कुमार्गगामी हो सकते हैं। दूषित वा-
तावरण और गन्दी परिस्थितियों में रहना पड़े तो गृहस्थ,
वैधव्य और वृद्धावस्था तक में चरित्रहीनता का खतरा
बना ही रहेगा। अविवाहित दुराचारी हो जाते हैं और





विवाहित सदाचारी बने रहते हैं यह सोचना भ्रमपूर्ण है। ब्राह्म प्रतिबन्धों से नहीं, मानसिक प्रतिबन्ध ही किसी को सदाचारी बनाये रह सकते हैं। सो हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिये, उन्हें मनस्वी और चरित्रवान बनने के उपयुक्त वातावरण एवं प्रशिक्षण देना चाहिये। अन्यथा विवाह होने पर भी इस बात की कोई गारण्टी नहीं कि वे पतनोन्मुख होने से बच ही जायेंगे।

किसी जमाने में जब अनाचारी शासक प्रजा की लड़कियों पर कुदृष्टि लगाये रहते थे और सयानी बच्चियों की सुरक्षा सङ्कट से भरो थी तब छोटे बच्चों के विवाह करके उन्हें घरों को आड़ में छिपाये रहना और विवाह कर देना सामयिक आवश्यकता के रूप में आवश्यक रहा होगा और धर्म माना जाता रहा होगा। अब ऐसा कोई खतरा नहीं रहा इसलिये अब बाल-विवाह को धार्मिकता के साथ जोड़ना गलत है। बच्चे हां या बच्चियाँ उनकी किशोरा-वस्था शिक्षण एवं स्वास्थ्य-सम्बर्धन में लगाई जानी चाहिये। उन्हें मानसिक और शारीरिक विकास का अवसर उठती उम्र में प्राप्त करने देना चाहिये। बूढ़े पुराने लोग अपने मरने बात कहकर विवाह अपनी आँखों के आगे देख जाने की अभिलाषा आमतौर से व्यक्त करते रहते हैं और घर वालों को जल्दी व्याह के लिये उकसाते रहते हैं। उन्हें समझना और समझाना चाहिये कि उनकी यह उतावली बच्चों के लिये कितने घातक परिणाम उत्पन्न करेगा? समय आगया है कि हम, विवेक के आधार पर हर बात सोचें और बाल-विवाह जैसी मूर्खता का अत्रिलम्ब परित्याग कर दें।

“बाल-विवाह की भयङ्करता से समाज को बचाया जाय” पुस्तिका से

